राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

मध्यप्रदेश

8, अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल

क्रमांक/एन.एच.एम./एन.टी.सी.पी./2019/2152 भोपाल, दिनांक 15/02/2019

प्रति,

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
मध्यप्रदेश।

विषय :– तम्बाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान अतंर्गत Yellow Line Campaign एवं तम्बाकू मुक्त क्षेत्र के लेखन के संबंध में।

सन्दर्भ :– लोक शिक्षण संचालनालय का पत्र क्रमांक/विद्या /पी.ए/जेडी./ तम्बाकू/2019/398 भोपाल दिनांक 06.02.2019।

विषयांतर्गत लेख है कि आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय म.प्र. के संदर्भित पत्र के द्वारा समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संस्थान एवं समस्त जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि COTPA 2003 के अंतर्गत शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज में तम्बाकू उत्पादों का विक्रय प्रतिबंधित है। अतः –

1. शैक्षणिक संस्थान के सामने 100 गज के दायरे में एक पीली रेखा बनाई जाए एवं उस पर ''तम्बाकू मुक्त क्षेत्र'' लिखा जाए।
2. शैक्षणिक संस्थान के सामने 100 गज के दायरा तम्बाकू मुक्त हो और उस दायरे में कोई भी तम्बाकू उत्पाद की दुकान न हो।
3. सुनिश्चित करे कि शैक्षणिक संस्थान में कोई भी तम्बाकू पदार्थों का सेवन न करें ।

उक्त के सम्बध में निर्देशित किया जाना है कि वित्तीय वर्ष 2018–19 में आपके जिलें में चिन्हित की गई 10 शासकीय शालाओं, 5 निजी शालाओं एवं 3 महाविद्यालय में तम्बाकू नियंत्रण से संबंधित गतिविधि संचालित किए जाने हेतू प्रति शैक्षणिक संस्था राशि रूपये 5000/– की राशि प्रदान की गई है, इस राशि से इन चिन्हित शैक्षणिक संस्थाओं में Yellow Line Campaign एवं ''तम्बाकू मुक्त क्षेत्र'' के लेखन का कार्य अनिवार्यतः से किया जावें, शेष विद्यालयों में यह कार्य शिक्षा विभाग द्वारा स्वयं के बजट से किया जाना है किन्तु आपके जिलें की समस्त शैक्षणिक संस्थाओं में **Yellow Line Campaign एवं ''तम्बाकू मुक्त क्षेत्र'' के लेखन** का कार्य अनिवार्यतः से हो इस हेतु जिला शिक्षा अधिकारी एवं अन्य से आवश्यक समन्वय जिला नोडल अधिकारी–एन.टी.सी.पी. द्वारा किया जावें।

(डॉ. बी.एन. चौहान)
संचालक – एन.एच.एम.
मध्यप्रदेश

पृ.क्र./एन.एच.एम./एन.टी.सी.पी./2019/ भोपाल, दिनांक / /2019

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मध्यप्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन।
3. आयुक्त स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश।
4. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश।
5. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश।
6. क्षेत्रीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं मध्यप्रदेश।
7. समस्त जिला नोड्ल अधिकारी , राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश।
8. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मध्यप्रदेश।

संचालक – एन.एच.एम.
मध्यप्रदेश